<u>न्यायालय यशवंत मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर,</u>
<u>जिला–जबलपुर, (म.प्र.)</u>

<u>आर.सी.टी.क.:–3367 / 2020</u>
<u>फाईलिंग नबंरः–15248 / 2020</u>
<u>सी.एन.आर.–एम.पी.20010198082020</u>
<u>संस्थित दिनांकः–24.08.2020</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र–टाईगर स्ट्राइक फोर्स,
जबलपुर,जिला–जबलपुर (म.प्र.) ....अभियोजन

विरूद्ध

1. राम सिंह, पिता–श्री भददू गौड़,
उम्र– लगभग 47 वर्ष, निवासी–ग्राम जगतपुर,
थाना–करंजिया,तहसील–डिंडौरी,
जिला–डिण्डौरी (म.प्र.)

2. शक्ति सिंह, पिता–श्री गंगा सिंह गौड़,
उम्र– लगभग 37 वर्ष, निवासी–ग्राम गौदा,
थाना–राजेन्द्रग्राम, तहसील–राजेन्द्रग्राम,
जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

3. भगवानी यादव, पिता–श्री वीर सिंह यादव,
उम्र– लगभग 62 वर्ष, निवासी–बालको,
थाना–करंजिया,तहसील–डिंडौरी,
जिला–डिण्डौरी (म.प्र.)

.... आरोपीगण

टाईगर स्टाईक फोर्स, तहसील–जबलपुर, जिला–जबलपुर के अपराध क्रमांक / पी.ओ.आर क्रं. 28060 / 21 अपराध अंतर्गत धारा–9,39,48ए, 49बी, 51,52 एवं 57 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से उद्भूत प्रकरण।

राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी – श्रीमती भारती उइके।
आरोपी रामसिंह की ओर से अधिवक्ता – श्री सुजीत सिंह।
आरोपी शक्ति सिंह की ओर से अधिवक्ता – श्री ए.आर.लखेरा ।
आरोपी भगवानी यादव की ओर से अधिवक्ता – श्री फुजैल उस्मानी ।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक— 10.03.2022 को उद्‌घोषित)

1. आरोपीगण पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 48ए, 49बी एवं 9 का उल्लंघन होकर धारा 51(1) के अधीन आरोप है कि उन्होनें दिनांक 04.07.2020 को ग्राम जगतपुर डिण्डौरी अमरकंटक रोड में लगभग 05.15 बजे बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची—1 के भाग—1 के क्रमांक 16बी पर दर्शित वन्य प्राणी तेंदुआ का आखेट कर उसकी मृत्यु कारित की एवं उसके शरीर के अंगो को विक्रय के प्रयोजन से रखा/परिवहन किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में है कि राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल के आदेश क्रं. 116/2020 दिनांक 02.07.2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ वनविभाग से मुख्यालय को वन्य प्राणी के अव्यवों के व्यापार संबंधी सूचना मिलने पर टीम गठित की गई और सूचना के आधार पर डिण्डौरी क्षेत्र में पहॅुचने पर जगतपुर में आरोपीगण राम सिंह, शक्ति सिंह एवं भगवानी यादव मिले, जिन्हें रोका तो उनके पास प्लास्टिक की बोरी में तेंदुए की खाल, जबड़ा बंधे हुए मिले, जिनके संबंध में उनसे पूछताछ किये जाने पर राम सिंह ने जंगली सुअर का शिकार करने के उद्‌देश्य से अपने खेत में करंट का तार बिछाया, जिसमें तेंदुआ फंसकर मर गया, जिसको बेचने के लिए तीनों आरोपीगण ने मिलकर तेंदुए की खाल निकालकर उसके अव्यवों को बरगद के पेड़ के नीचे छिपाना बताया तब आरोपीगण की निशादेही पर घटना स्थल से हड्‌डियॉ जप्त की जाकर मौके से खाल व जबड़ा जप्त कर उनका विधिवत्‌ परीक्षण कराया जाकर आरोपीगण व साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गये और विवेचना पूर्ण कर विधिवत सूचना प्रेषित की जाकर आरोपीगण की गिरफतारी के उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण को आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होनें अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण चाहा तथा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन परीक्षण किये जाने पर उन्होनें स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया।

4. प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदुओं की विरचना की जा रही हैः—

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 04.07.2020 को ग्राम जगतपुर डिण्डौरी अमरकंटक रोड में लगभग 05.15 बजे बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची—1 के भाग—1 के क्रमांक 16बी पर दर्शित वन्य प्राणी तेंदुआ के शरीर के अंगो को विक्रय के प्रयोजन से रखा/ परिवहन किया गया?

2. क्या आरोपीगण राम सिंह, शक्ति सिंह ने उक्त घटना दिनांक के पूर्व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–1 के भाग–1 के क्रमांक 16बी पर दर्शित वन्य प्राणी तेंदुआ का अवैध रूप से आखेट कर उसकी मृत्यु कारित की?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

5. सुविधा की दृष्टि से तथा समान तथ्यों पर आधारित होने से साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण मेरे द्वारा एक साथ किया जा रहा है। इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 02.07.2020 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स जबलपुर के प्रभारी अधिकारी के पद पर पदस्थ थे तब मुख्यालय भोपाल से प्राप्त सूचना एवं दल गठन के आदेश प्र.पी.01 के उपरांत वह दिनांक 04.07.2020 को दल के सदस्यों एवं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर के सदस्यों के साथ जबलपुर से डिण्डौरी के लिये रवाना हुए और जगतपुर पहुॅचे तब टाईगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की टीम से प्राप्त सूचना पर एवं मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के अनुसार जगतपुर से अमरकंटक वाली रोड पर तीन संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिये तब मुखबिर द्वारा संदिग्धों की पहचान कर पुष्टि की जाकर तीनों व्यक्तियों को रोककर उनके नाम पूछे तो उन्होनें अपना नाम क्रमशः राम सिंह पिता भद्दू सिंह, शक्ति सिंह पिता गंगा सिंह एवं भगवानी सिंह पिता वीर सिंह बताया, जिसका समर्थन ऐसे ही अभिवचन करते हुए संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02), विपिन लकड़ा(अ.सा.04) एवं विपिन चतुर्वेदी (अ.सा.06) ने भी किया है।

6. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने यह भी व्यक्त किया है कि उन्होनें मौके पर ही थैला खुलवाये तो एक प्लास्टिक की पन्नी एवं लुंगी में लिपटी हुई तेंदुए की खाल निकली व लाल कपड़े में लिपटा हुआ जबड़ा, जिसमें 04 दांत, 01 जीभ निकली थी तब आरोपीगण से उक्त सामान एवं अव्यव के लाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होनें कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया तो मौके पर पंचनामा वनपाल विपिन लकड़ा द्वारा बनाया गया जो प्र.पी.26 है तथा मौके पर ही संदीप तोहेल द्वारा जप्ती पंचनामा प्र.पी.12 व 27 की कार्यवाही की जाकर 01 नग खाल, दॉत व जीभ सहित जबड़ा जप्त किया था और नक्शा मौका पंचनामा प्र.पी.28 तैयार कर जप्तशुदा तेंदुए की खाल का रेखाचित्र व माप पत्रक प्र.पी.25 तैयार किया था, जिसका समर्थन ऐसे ही अभिवचन करते हुए संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02), विपिन लकड़ा(अ.सा.04) एवं विपिन चतुर्वेदी (अ.सा.06) ने भी किया है।

7. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने यह भी व्यक्त किया है कि उन्होनें दिनांक 05.07.20 को वन्य अपराध प्रकरण क्रमांक 28060/21 दर्ज किये जाने की सूचना एवं एफ.ओ.सी. आर. नंबर प्राप्त करने हेतु प्र.पी. 29 का पत्र मुख्यालय राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल को प्रेषित किया था, जिसके उपरांत मुख्यालय से एफ.ओ.सी.आर. नंबर 03/2020 प्रदान कर उन्हें प्रकरण का विवेचना अधिकारी एवं विपिन लकड़ा वनपाल को

सहायक विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो प्र.पी.30 है, जिसका समर्थन ऐसे ही अभिवचन करते हुए विपिन लकड़ा(अ.सा.04) ने भी किया है।

8. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने यह भी व्यक्त किया है कि उन्होनें दिनांक 05.07.20 को आरोपीगण राम सिंह, शक्ति सिंह, भगवानी यादव से पूछताछ कर उनके बताये अनुसार कथन प्र.पी. 14 से 16 लेखबद्ध कर उनके बताये अनुसार राम सिंह की निशादेही पर बरगद के पेड़ के नीचे से छिपाई गई हड्डियॉ मिलने पर मौका पंचनामा प्र.पी. 17 व नजरी नक्शा प्र.पी. 31 तैयार किया था तथा आरोपीगण से उपवन संरक्षक श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा पूछताछ कर कथन प्र.पी. 19 से 21 लेखबद्ध किये गये थे, जिसका समर्थन ऐसे ही अभिवचन करते हुए संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02), विपिन लकड़ा(अ.सा.04) एवं विपिन चतुर्वेदी (अ.सा.06) ने भी किया है।

9. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने यह भी व्यक्त किया है कि उपवन संरक्षक प्रतिभा अहिरवार ने साक्षीगण विपिन चतुर्वेदी, संदीप कुमार तोहेल के कथन उनकी उपस्थिति में प्र.पी. 10 व 22 अंकित किये और उन्होनें आरोपीगण के आपराधिक रिकार्ड प्र.पी. 35 व 36 प्राप्त कर संलग्न किये जाकर साक्षी विपिन लकड़ा, देवेन्द्र परस्ते से पूछताछ कर कथन प्र.पी. 21 व 24 लेखबद्ध कर जप्तशुदा वन्य प्राणी तेंदुए के अव्यव को प्रजाति पहचान एवं फॉरेन्सिक जॉच हेतु वाईल्ड लाईफ फॉरेन्सिक साईन्स लेब्रोरेटरी नानाजी देशमुख कॉलेज जबलपुर प्र.पी. 37 से 39 के माध्यम से प्रेषित किये थे, जहॉ से प्र.पी. 40 की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें अव्यव वन्य प्राणी तेंदुए के पाया जाना लेखबद्ध किया था।

10. विपिन लकड़ा (अ.सा.04) ने यह भी व्यक्त किया है कि उन्होनें दिनांक 05.07.20 को आरोपी राम सिंह की निशादेही पर दर्शित स्थल को खुदवा कर तेंदुए की 44 नग हड्डियों मिलने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जो न्यायालय के समक्ष सफेद पीले रंग के कपड़े के पैकेट में होकर आर्टिकल ए–4 है, जिसका समर्थन ऐसे ही अभिवचन करते हुए संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02) एवं विपिन चतुर्वेदी (अ.सा.06) ने भी किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उससे पूछताछ कर प्र.पी.11 के कथन लेखबद्ध किये गये थे और उन्होनें ही मौके का पंचनामा प्र.पी.26 बनाया था।

11. संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02) ने यह भी व्यक्त किया है कि उनके द्वारा दिनांक 04.07.2020 को आरोपीगण से 01 नग खाल, जबड़ा, जीभ जप्त कर पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था, जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर दो नग जबड़ा आर्टिकल ए1, ए2 तथा जीभ आर्टिकल ए3 है तथा उन्होनें जप्ती के उपरांत वन्य प्राणी तेंदुए की खाल का नाप जोख कर सीलबंद किया था, जिसका पंचनामा प्र.पी.13 है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उनके समक्ष आरोपीगण के कथन प्र.पी.14 से 16 लेखबद्ध किये गये थे, जिनमें आरोपीगण ने अपराध करना स्वीकार किया था तब उसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक 28060/21 दर्ज किया था, जो प्र.पी.17 है।

.........3

12. संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी राम सिंह के बताये अनुसार मौके पर पहुॅचकर हड्डियॉ बरामद की गई थी, जिसका पंचनामा प्र. पी. 18 है और आरोपी राम सिंह को वापस कार्यालय लेकर आये तब पुनः उपवन संरक्षक ने आरोपीगण से पूछताछ कर प्र.पी.19 से 21 के कथन लेखबद्ध किये और उससे पूछताछ कर कथन प्र.पी.10 लेखबद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके समक्ष विपिन चतुर्वेदी के कथन प्र.पी.22, विपिन लकड़ा के कथन प्र.पी.10 लेखबद्ध किये गये थे तथा उन्होनें जप्तशुदा तेंदुए की खाल का रेखाचित्र तैयार किया था, जो प्र.पी. 25 है।

13. प्रभात दुबे (अ.सा.01) ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 05.07.20 को जप्तशुदा तेंदुए के अव्यव के परीक्षण हेतु सेम्पल लिये गये थे, जिसका पंचनामा प्र.पी.03 है और आरोपीगण से पूछताछ कर गिरफतारी एवं जामा तलाशी ली गई थी जिसका पंचनामा प्र.पी.04 से 09 है, जिसका समर्थन ऐसे ही अभिवचन करते हुए साक्षी देवेन्द्र परस्ते (अ.सा.05) ने भी किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके समक्ष ही साक्षी संदीप तोहेल के कथन प्र.पी.10, विपिन लकड़ा के कथन प्र.पी. 11 लेखबद्ध किये गये थे।

14. प्रभात दुबे (अ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके कार्यालय में रवानगी एवं वापिसी सान्हा को कोई प्रावधान नही है और आरोपी भगवानी को वन कार्यालय से किसी अन्य जगह पर उसके समक्ष नही ले जाया गया था तथा प्रकरण के अधिकांश साक्षी कार्यालय से संबंधित है क्योकि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नही मिल सकते थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जो कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी उन पर उसके हस्ताक्षर है और प्र.पी. 02 का पंचनामा मौके पर तैयार किया गया था, जिसमें समय का उल्लेख नहीं है तथा वह आरोपी के साथ शासकीय वाहन से जबलपुर के लिए रवाना हुआ था और पंचनामा प्र.पी.03 एस.एफ.आर.आई.केम्पस जबलपुर में बनाया गया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी राम सिंह के कथन दिनांक 05.07.2020 को उपवन संरक्षक प्रभारी प्रतिभा अहिरवार के द्वारा लिये गये थे।

15. संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा सामग्री तौलने पर करीब 05–06 किलो होती है जो एक व्यक्ति उठाकर चल सकता है और जप्तशुदा संपत्ति को उन लोगों ने तीनों को पकड़ा होना बताया था और व्यक्त किया है कि जप्तशुदा संपत्ति रामसिंह के हाथ में थी परंतु शक्ति सिंह व भगवानी सिंह साथ में थे। उन्होनें यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में लुंगीनुमा कपड़ा जप्त नहीं किया गया है और ना ही फोटोग्राफस के कोई निगेटिव पेश किये गये है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी भगवानी पर करंट लगाकर

मारने का आरोप नहीं है और उन्होनें आरोपी शक्ति सिंह के विरूद्ध कोई जॉच नहीं की थी अपितु सिर्फ उसे पकड़ा और जप्ती की थी, जिन्होनें प्र.पी.12 की कंडिका कमांक 05 की उपकंडिका–अ, कंडिका कमांक 06,07 एवं कंडिका कमांक 01 रिक्त है उसमें पी.ओ. आर. नंबर का उल्लेख ना होकर समय अंकित ना होना भी स्वीकार किया है।

16. संदीप कुमार तोहेल (अ.सा.02) ने प्र.पी. 12,13 की राईटिंग उनकी होना स्वीकार करते हुए पंचनामा प्र.पी.15 को लेखबद्ध करते समय उसके अधिकारी की मौजूदगी होना स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 17 की इबारत उसके द्वारा लिखी गई है, जिस पर आरोपी शक्ति सिंह के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण को जगतपुर गांव के मेन रोड पर पकड़ा था तथा प्रकरण में तार, फंदा जिसमें फंसकर जानवर मरा था वह जप्त नहीं किया और ना ही प्रकरण में पेश किया गया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि 05 जुलाई को आरोपी राम सिंह के बयान लिये जाकर उसे दुबारा जबलपुर ले गये थे व आरोपी राम सिंह से कोई उपकरण जप्त नहीं किये गये।

17. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी राम सिंह ने शक्ति सिंह के साथ मिलकर तेंदुआ मर जाने पर तेंदुआ को उठाकर जंगल में पहाड़ किनारे तलहटी पर ले गया था और बरगद के नीचे फेंक दिया तथा आरोपी राम सिंह भगवानी को बुलाकर लाया था तब तीनों लोगों ने तेंदुए की खाल निकाली थी व बचे हुए मांस को बरगद के नीचे पत्थरो में छिपा दिया था और निकाली हुई खाल को भगवानी द्वारा नमक लगाकर वही जंगल में सुखा दिया और तीनों खाल व जबड़ा को बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे तभी उन्हें पकड़ा था तथा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में आरोपी राम सिंह द्वारा जो तार लगाया गया था उसकी जप्ती नहीं की गई है व व्यक्त किया है कि आरोपी ने तार, फंदा जंगल में फेंकना बताया था, जो ढूढ़ने पर नहीं मिला तथा यह स्वीकार किया है कि खाल निकालने के लिये जिस हथियार का उपयोग किया गया था उसकी जप्ती नहीं की व व्यक्त किया है कि आरोपी भगवानी ने रेजर ब्लेड से खाल उतारकर खाल ब्लेड को नाले में फेंकना बताया था।

18. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जहॉ पर तेंदुए को मारा गया था उस स्थान का नजरी नक्शा नहीं बनाया था और ना ही उस स्थान का मुआयना किया था व व्यक्त किया है कि अव्यवों की जप्ती से वन्य प्राणी का अपराध होना दर्शित होता है और जप्ती के 04 माह पूर्व तेंदुए को करंट लगना पाया था इसलिये उस स्थान का मुआयना नहीं किया। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी भगवानी के द्वारा खाल निकालने, नमक लगाकर उपचारित करने एवं खाल के व्यापार में सहयोग करना सहअभियुक्तगण द्वारा बताया गया था तथा तेंदुए के अव्यवों का थैला आरोपी भगवानी पकड़कर नही चल रहा था व व्यक्त किया कि आरोपी राम सिंह के हाथ में थैला था तथा दोनों आरोपीगण शक्ति सिंह व भगवानी उसी के साथ में चल रहे थे।

........4

19. इंदर सिंह बारे (अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 27 में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है व व्यक्त किया है कि तीनों व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है तथा प्र.पी. 20, 26,27 की राईटिंग उनकी नहीं है और प्र.पी.12 की कार्यवाही पर उनके हस्ताक्षर है परंतु उक्त कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई। विपिन लकड़ा (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह इंदर सिंह के निर्देश पर कार्य कर रहा था तथ इंदर सिंह ने सभी को अलग—अलग कार्य करने के लिये नियुक्त किया था और प्र.पी. 02 की कार्यवाही करने हेतु उसे इंदर सिंह द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया था, जिसमें जप्ती के स्थान का उल्लेख नहीं था जी.पी.एस. रीडिंग लिखी है व स्वीकार किया है कि प्र.पी. 02 पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है तथा जहॉ जप्ती की कार्यवाही की गई वहॉ कुछ दूरी पर रेस्ट हाउस था।

20. विपिन लकड़ा (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए4 के कपड़े पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, जिसमे जप्ती स्थल का भी उल्लेख नहीं है तथा आर्टिकल ए4 की संपूर्ण लिखापढ़ी कार्यालय में बैठकर उसके द्वारा की गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ब्लेड से किसी जानवर को नहीं मारा जा सकता और ना ही ब्लेड से हड्डियॉ अलग की जा सकती तथा जप्ती दिनांक से 15 दिन बाद खाल प्रयोगशाला भेजी गई थी।

21. विपिन चतुर्वेदी (अ.सा.06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि लगभग 02 घंटे बाद 05 बजे के आसपास 03 संदिग्ध व्यक्ति मुखबिर के बताये गये हुलिये के अनुसार दिखाई दिये थे तथा जिस जगह तेंदुए को करंट लगना बताया उस जगह वह नहीं गया था और ना ही उसके समक्ष कोई हथियार जप्त हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण ने अभियोजन की कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है तथा आरोपीगण की ओर से भी उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण मे घटना को परोक्ष रूप से स्वीकार भी किया गया है क्योंकि साक्षी प्रभात के प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि मौके पर स्वतंत्र साक्षी नहीं मिल सकते थे तथा प्र.पी.01 के आदेश के अनुसार अवैध व्यापार संबंधी ठोस सूचना मिलने पर गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दल गठित किया गया था और जो कार्यवाही उनके सामने हुई थी उस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

22. इसी प्रकार साक्षी प्रभात दुबे के प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण की ओर से यह भी स्वीकार किया गया है कि प्र.पी. 02 का पंचनामा मौके पर तैयार किया गया था और वह आरोपी के साथ शासकीय वाहन से जबलपुर के लिये रवाना हुये थे जो रास्ते में कही नहीं रूके तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि आरोपी राम सिंह के बयान उपवन संरक्षक प्रभारी अधिकारी प्रतिभा अहिरवार द्वारा दिनांक 05.07.20 को लेखबद्ध किये गये थे। इसी प्रकार साक्षी संदीप के प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया गया है कि उन्होनें

आरोपी शक्ति सिंह के विरूद्ध जॉच नहीं की अपितु सिर्फ उसे पकड़ा था और जप्ती की थी तथा आरोपीगण को जगतपुर गांव में पकड़ा गया था और आरोपी राम सिंह को दुबारा बयान लिये जाकर जगतपुर ले जाया गया था।

23. साथ ही आरोपीगण की ओर से साक्षी विपिन लकडा के प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया गया है कि वह इंदर सिंह के निर्देश पर कार्य कर रहा था और जहॉ पर जप्ती की कार्यवाही की गई थी वहॉ पर कुछ दूरी पर रेस्ट हाउस भी था, जिनके प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया गया है कि आर्टिकल ए4 की संपूर्ण कार्यवाही एवं जप्ती की कार्यवाही मौके पर की गई थी। इसी प्रकार साक्षी विपिन चतुर्वेदी के प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि लगभग 02 घंटे के बाद 05 बजे के आसपास 03 संदिग्ध व्यक्ति मुखबिर के बताये हुलिये अनुसार दिखाई दिये थे।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की कार्यवाही का समस्त साक्षीगण द्वारा समर्थन किया गया है, जिनके द्वारा की गई कार्यवाही को आरोपीगण द्वारा भी उनके प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्र.पी. 01 के दस्तावेज से अभियोजन की कहानी की पुष्टि होकर दल गठन की पुष्टि होती है साथ ही प्र.पी. 30 के दस्तावेज से इंदर सिंह को विवेचना अधिकारी एवं विपिन लकड़ा को सहायक विवेचना अधिकारी नियुक्त कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना दर्शित होता है और स्वयं विपिन लकडा के प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा इंदर सिंह के निर्देश पर कार्यवाही की गई थी तथा इंदर सिंह ने सभी को अलग–अलग कार्य करने निर्देशित किया गया था।

25. प्र.पी.38 से 40 के दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि जप्तशुदा खाल, जबड़ा व हड्डियों को परीक्षण हेतु नानाजी देशमुख वेटनरी साईंस यूनिवर्सिटी एवं वाईल्ड लाईफ फॉरेन्सिक प्रयोगशाला भेजे जाने पर उक्त खाल, जबड़ा व हड्डी वन्य प्राणी तेंदुआ के होने की पुष्टि की गई, जिसकी खंडनकारी कोई साक्ष्य या परिस्थिति भी आरोपीगण की ओर किया जाना दर्शित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है और ना ही विवेचना के दौरान एकत्रित की गई जिससे यह परिलक्षित हो सके कि किस स्थान पर और किस तार से, किस प्रकार से करंट लगाया जाकर तेदुए का शिकार किया गया, जिसके संबंध में स्वयं विवेचना अधिकारी ने भी यह स्वीकार किया है कि जहॉ पर तेंदुए का शिकार हुआ था उस स्थान पर वह नहीं गये और ना ही उक्त स्थान का मुआयना करते हुए मौका नक्शा बनाया जाकर जिस तार व उपकरण से तेंदुए को मारा गया उसकी कोई जप्ती की गई।

26. प्रकरण में आरोपीगण को संयुक्त रूप से तेंदुए की खाल, जबड़ा, जीभ, दांत सहित पकड़ा गया है और आरोपी राम सिंह की निशादेही पर तेंदुए की 44 नग हड्डियॉ बरामद की गई है, जिससे उक्त आरोपीगण के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 57 की यह उपधारणा गठित होती है कि जहॉ इस अधिनियम के विरूद्ध

........5

अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी बंदी पशु, पशु वस्तु, मॉस, ट्राफी या अशोधित ट्राफी (विनिर्दिष्ट पौधे), उनके भाग या उनसे प्राप्त वस्तु को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे है, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं होता है जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अनुमान किया जायेगा कि उस व्यक्ति, उक्त बंदी पशु, पशु वस्तु, मॉस, ट्राफी, अशोधित ट्राफी के अवैधानिक कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है।

27. उपरोक्त उपधारणा खंडन आरोपीगण की ओर से नहीं किया गया है तथ जिसके समर्थन में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने पुष्टि करते हुए तीनों आरोपीगण को तेंदुए की खाल, जबड़े दॉत व जीभ सहित पकड़ा जाना प्रकट किया है, जिसकी खंडनकारी कोई साक्ष्य भी अभिलेख पर विद्यमान नही है अपितु आरोपीगण की ओर से आरोपीगण को जगतपुर के गांव में पकड़ना साक्षी संदीप के प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है और साक्षी संदीप ने जप्तशुदा खाल, जबड़े को जीभ व दांत सहित न्यायालय के समक्ष पेश कर आर्टिकल ए से ए3 चिन्हित कराया जाकर व आरोपी राम सिंह की निशादेही पर साक्षी विपिन द्वारा न्यायालय में आर्टिकल ए4 की हड्डिया प्रस्तुत कर प्रमाणित की गई है, जिसका कोई खंडन भी आरोपीगण की ओर से नहीं किया गया है।

28. आरोपीगण की ओर से तर्क के दौरान प्रकट किया है कि किसी व्यक्ति विशेष आरोपी से जप्ती नहीं की गई है और तीनों आरोपीगण से एक साथ जप्ती किया जाना संभव नहीं है इसलिये मौके पर उचित रूप से कार्यवाही नहीं की गई परंतु उक्त तथ्य को कोई लाभ आरोपीगण को प्राप्त नहीं होता है क्योकि मौके पर तीनों आरोपीगण को दिनांक 04.07.2020 को जप्तशुदा सामग्री को ले जाते हुए पकड़ा गया और उक्त सामग्री आरोपी राम सिंह के हाथो में रखी होना भी विवेचना अधिकारी ने दर्शित किया है जिसका कोई खंडन आरोपीगण की ओर से किया जाना भी दर्शित नहीं होता है।

29. अतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल हुआ है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक 04.07.2020 के पूर्व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–1 के भाग–1 के क्रमांक 16बी पर दर्शित वन्य प्राणी तेंदुआ का अवैध रूप से आखेट कर उसकी मृत्यु कारित की। फलतः आरोपी शक्ति सिंह, राम सिंह को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09 के उल्लंघन से दोषमुक्त किया जाता है परंतु अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने सफल हुआ है कि आरोपीगण ने दिनांक 04.07.2020 को ग्राम जगतपुर डिण्डौरी अमरकंटक रोड में लगभग 05.15 बजे बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–1 के भाग–1 के क्रमांक 16बी पर दर्शित वन्य प्राणी तेंदुआ के शरीर के अंगो को विक्रय के प्रयोजन से रखे/ परिवहन करते पाये गये। फलतः आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51(1) के अधीन दण्डनीय अपराध में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

30. प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण परिवीक्षा का लाभ पाने के अधिकारी नहीं है।

31. निर्णय उभय पक्ष को दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए स्थगित किया जाता है ।

(यशवंत मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

<u>पुनश्च :–</u>

<u>10.03.2022</u>

32. उभयपक्ष को दंड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि आरोपीगण अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य है, जिनके ऊपर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी है और वह जेल में निरूद्ध है, यह उनका प्रथम अपराध है अतः उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने से उसे कम से कम दण्ड अथवा अर्थदण्ड से ही दण्डित किये जाने का निवेदन है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्रीमती भारती उइके ने प्रकट किया कि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु सरकार अत्यधिक प्रयासरत है तथा यदि आरोपीगण को कठोर दंड नही दिया गया तो इस प्रकार के अपराधों में अंकुश लगाने में नाकामी रहेगी अतः इस प्रकार के अपराधों की बढ़ती हुई संख्या का हवाला देकर आरोपीगण को कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है।

33. दण्डाज्ञा पर विचार किया गया। आरोपी राम सिंह एवं शक्ति सिंह जेल मे निरूद्ध है। आरोपीगण के पूर्व दोषसिद्धि संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध ना होने से उनके प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपीगण की पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51(1) के अधीन दंडनीय अपराध में क्रमशः 03–03–03 वर्ष (तीन–तीन–तीन वर्ष) के सश्रम कारावास से एवं क्रमशः 10,000–10,000–10,000/–रूपयें (दस हजार–दस हजार–दस हजार रूपयें) के अर्थदंड से तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम में प्रत्येक आरोपी को क्रमशः 03–03–03 माह (तीन–तीन–तीन माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है।

34. दं.प्र.सं. की धारा 428 के अधीन आरोपी राम सिंह, शक्ति सिंह की निरोध अवधि दिनांक 06.07.2020 से 10.03.2022 तक कुल 01 वर्ष 08 माह 04 दिवस एवं आरोपी भगवानी यादव की निरोध अवधि दिनांक 06.07.2020 से 14.12.21 तक कुल 01 वर्ष 05 माह 08 दिवस का विवरण बनाकर निर्णय में समाविष्ट किया जाये, जो कि अभिलेख का भाग होगा।

35. आरोपी भगवानी यादव को कारावासीय सजा भुगताए जाने हेतु सजा वारंट बनाकर केन्द्रीय जेल जबलपुर भेजा जावे एवं आरोपीगण राम सिंह, शक्ति सिंह का सजा वारंट बनाया जावे।

36. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति तेंदुए की खाल, जबड़ा, दॉत, जीभ एवं हड्डियों को अपील अवधि पश्चात् विधिअनुसार निराकरण किये जाने हेतु क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स जबलपुर भेजे जावे एवं अपील होने पर जप्तशुदा उक्त सम्पत्ति का निराकरण मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

37. धारा 365 दं.प्र.सं. के अधीन निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर को प्रेषित की जावे।

38. निर्णय की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांकः– 10.03.2022　　　मेरे उद्‌बोधन पर टाईप।
स्थान :– जबलपुर।

YASHWANT MALVIYA

Digitally signed by YASHWANT MALVIYA
Date: 2022.03.10 17:02:44 +0530

(यशवंत मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)